संख्या:3/2021/15बीपी/35-1-2021

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 27 जनवरी,2021

विषयः बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में लघु सिंचाई विभाग की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 मेंशासनादेश संख्या-29/2018/100बीपी/35-1-2018, दिनांक 06 नवम्बर, 2018 द्वारा लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित 03 परियोजनाओं की रू. 33603.00 लाखकी लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 5240.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी,जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 1934.12 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेश संख्या-10/2019/50बीपी/35-1-2019, दिनांक 13 मई,2019 द्वारा रू. 4415.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-17/2019/100बीपी/35-1-2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा रू. 23947.00 लाख द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु कुल रू. 28362.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 6063.09 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 तक प्रश्नगत परियोजनाओं के सापेक्ष कुल मिलाकर रू. 7997.21 लाख की धनराशि व्यय की गई है। एतद्द्वारा परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु पूर्व में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभागीय मांग के अनुरूप रू. 8050.31 लाख (रूपये अस्सी करोड़ पचास लाख इकतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	माह मार्च 2020 तक व्यय धनराशि	वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	चेक डैम का निर्माण	10054.00	3826.89	6227.11	2375.82
2	तालाबों का आधुनिकीकरण	13020.00	3765.71	9254.29	3749.49
3	नये डग/ब्लास्टवेल का निर्माण	10529.00	404.61	10124.40	1925.00
	योग	**33603.00**	**7997.21**	**25605.80**	**8050.31**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. सन्दर्भित शासनादेशों दिनांकदिनांक 06 नवम्बर, 2018,दिनांक 13 मई, 2019 तथा दिनांक 13 सितम्बर, 2019 की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से किया जायेगा और धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।
3. प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगाऔर यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च,2021 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।
4. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 03 माह में अर्थात् 30 जून, 2021 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व पशुधन विभाग का होगा। तद्नुसार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अंतर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्ष के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या-ई-5-1026/दस-2020 दिनांक 10 अगस्त,2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

संख्या-3/2021/15बीपी(1)/35-1-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7. जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/चित्रकूट।
8. मुख्य विकास अधिकारी,झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9. कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट/ललितपुर।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-3/2021/15बीपी(1)/35-1-2021 दिनांक 27 जनवरी,2021 का संलग्नक

	परियोजना का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाखरू. में)	लेखाशीर्ष
1	चेक डैम का निर्माण	2375.82	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-82-लघु सिंचाई के अन्तर्गत चेकडैमों का निर्माण (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य
2	तालाबों का आधुनिकीकरण	3749.49	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़ेक्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-87-तालाबो का आधुनिकीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य
3	नये डग/ब्लास्टवेल का निर्माण	1925.00	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़ेक्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-20-नये डग वेल का निर्माण (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य
	योग	**8050.31 (रूपये अस्सी करोड़ पचास लाख इकतीस हजार मात्र)**	

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।